दिनांक- 09.12.17

खण्डपीट-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ

के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी सौप्रसाद सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा

उप0।

फरियादी अंगद सिंह उप0। फरियादी की पहचान अधि0 श्री आर0 बी0 दौंदेरिया द्वारा की गई।

> प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा द०प्र०सं० की धारा 320(2)

के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा0द0सं० की धारा 504, 323 एवं 325 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपी पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी सौप्रसाद को भा0द0सं० की धारा 504, 323 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर्रे है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डंडा मूल्यहीन होने से तोड-तोड कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दुर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1–

क 2-

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क022 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0